सं.एल-16013 / 3 /2012-जीपी-।।

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक 14 नवंबर, 2013

सेवा में

1. सीएमडी,
गेल (इंडिया) लिमिटेड,
नई दिल्ली

2. महानिदेशक,
पीपीएसी,
नई दिल्ली।

विषय: डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) सं. 47/2011 और 54/2011 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय के अनुपालन में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन/ आपूर्ति के दिशानिर्देश - के संबंध में ।

महोदय,

रिट याचिका (पीआईएल) सं. 47/2011 और 54/2011 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 25.7.2012 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, मुझे सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए सीजीडी कंपनियों को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

आपका,

हस्ता./-

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)

निदेशक

दूरभाष: 23073165

फैक्स नं.: 2338-9985

प्रतिलिपि:

1. सचिव, पीएनजीआरबी - सूचनार्थ
2. सभी सीजीडी कंपनियां - सूचनार्थ
3. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

सं. एल-16013/ 3 /2012-जीपी-II
भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
* * *

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 14 नवंबर, 2013

विषय:- रिट याचिका (पीआईएल) सं.47/11 और 54/11 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय के अनुपालन में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए सीजीडी कंपनियों को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के लिए दिशा-निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका सं. 36/2011 और 54/2011 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में दिनांक 25 जुलाई, 2012 के अपने आदेश के अनुसार भारत सरकार को निम्नानुसार निर्देश दिया था कि:

(i) अहमदाबाद शहर को घरेलू और वाहनों के उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस उसी दर पर आवंटित की जाए जिस दर पर इसकी दिल्ली और मुंबई में आपूर्ति की जाती है ताकि समानता का अधिकार लागू हो सके।

(ii) आवंटन के मामले में न तो केंद्रीय पीएसयू और अन्य सीजीडी के बीच और न ही गुजरात स्थित सीजीडी में कोई भेदभाव किया जाए।

2. मामले की मंत्रालय में जांच की गई है और आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है:

(i) सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र में खपत के संबंध में घरेलू गैस की आपूर्ति का अनुपात आरएलएनजी का अनुपात, सभी सीजीडी कंपनियों के लिए एकसमान रखा जाना चाहिए। प्रारंभ में, वर्ष 2012-13 के वास्तविक खपत आंकड़ों (8.02 एमएमएससीएमडी) को सीजीडी कंपनियों के सीएनजी (परिवहन), पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों को सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए घरेलू गैस की कंपनी-वार आपूर्ति का निर्धारण करने के लिए आधार आंकड़े के रूप में लिया जाएगा। (आधार आंकड़े में 5.75 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस और 2.27 एमएमएससीएमडी आरएलएनजी) शामिल है)।

(ii) गेल सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के प्रयोजनों के लिए सीजीडी कंपनियों को घरेलू गैस की आपूर्ति एकसमान आधार मूल्य पर करेगा। तथापि, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए व्यक्तिगत सीजीडी कंपनियों को घरेलू गैस का सुपुर्दगी मूल्य परिवहन शुल्क और स्थानीय कर और शुल्क के कारण भिन्न हो सकता है।

(iii) त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड और असम गैस कंपनी लिमिटेड (परिचालन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए) को छोड़कर, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) की आपूर्ति करने वाली सभी सीजीडी कंपनियों के घरेलू गैस का वर्तमान आवंटन / आपूर्ति रद्द की जाती है / वापस ली जाती है।

(iv) सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए, सीजीडी कंपनियों को घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए गेल को 6.4 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस (0.47 पीएमटी + 5.93 एपीएम) आवंटित की जाती है। इस आवंटन की पूरी तरह से आपूर्ति की जाएगी और इसे कोई कटौती नहीं की श्रेणी में रखा जाएगा। (इसका अर्थ है कि 6.4 एमएमएससीएमडी की आवश्यकता को मूल रूप से सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए 5.21 एमएमएससीएमडी की एपीएम आपूर्ति और सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी के लिए 0.47 एमएमएससीएमडी (जीजीसीएल को) की पीएमटी आपूर्ति के वर्तमान स्तर से तथा 0.72 एमएमएससीएमडी की अतिरिक्त आपूर्ति को गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में सभी एपीएम और पीएमटी ग्राहकों पर आनुपातिक कटौती करके पूरा किया जाएगा। 6.4 एमएमएससीएमडी से अधिक की आवश्यकता को सीजीडी कंपनियों द्वारा आरएलएनजी या किसी वैकल्पिक स्रोत, जो भी उपलब्ध हो, के जरिए पूरा किया जा सकता है।

(v) गेल सीजीडी कंपनियों के बीच भेदभाव बरते बिना सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के लिए सभी सीजीडी में घरेलू गैस की आपूर्ति में एकरूपता को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा, बशर्ते कि इसका प्रचालन व्यवहार्य हो। सीजीडी कंपनियों के लिए घरेलू गैस के आनुपातिक वितरण के प्रयोजन के लिए सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के खपत आंकड़ों की गेल द्वारा समय-समय पर (पीपीएसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर) समीक्षा की जाएगी। सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए मांग में वृद्धि (नई सीजीडी कंपनियों से उत्पन्न होने वाली सहित) के मामले में, गेल सीजीडी में भेदभाव किए बिना सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए घरेलू गैस की उपलब्ध मात्रा का वितरण सुनिश्चित करेगा।

(vi) सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के संबंध में खपत प्रमाणित करना सीजीडी कंपनी की जिम्मेदारी होगी और वह माह की समाप्ति पर 48 घंटों के भीतर पीपीएसी को सूचना देगा। कंपनी आंकड़ों की सटीकता और समय पर डेटा प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(vii) पीपीएसी अगले महीने की 7 तारीख को सीजीडी कंपनियों द्वारा प्राकृतिक गैस (घरेलू और आरएलएनजी के लिए अलग-अलग) की खपत पर गेल और एमओपीएनजी को क्षेत्र-वार मासिक रिपोर्ट प्रसतुत करेगी।

(viii) मंत्रालय को अपनी पसंद की किसी भी एजेंसी के माध्यम से किसी कंपनी को घरेलू गैस की आपूर्ति के अंतिम उपयोग का सत्यापन करने का अधिकार होगा।

(ix) सीजीडी कंपनियों के बीच भेदभाव के बिना सरकार सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए घरेलू गैस आवंटन को कम करने का अधिकार होगा।

(ix) उपर्युक्त व्यवस्था को संचालित करने के लिए, जहां आवश्यक हो, गेल अन्य कंपनियों के साथ आवश्यक अदला-बदली की व्यवस्था करेगा।

(xi) गेल को इन व्यवस्थाओं के परिचालनात्मक पद्धतियों को अंतिम रूप देने का निदेश दिया जाता है, जो कि यथाशीघ्र लागू किया जाएगा, किंतु 30.11.2013 के बाद नहीं होगा। तथापि, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के मतदान वाले राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के संबंध में, यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रभावी हो जाएगा।

3. इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक

सं.एल-16013/3/2-जीपी-।।

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

***

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 03.02.2014

विषय:- सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के लिए सीजीडी कंपनियां को घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि मंत्रालय ने सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन / आपूर्ति के लिए दिनांक 14.11.2013 के दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और संशोधित दिशानिर्देश को जारी करने का निर्णय लिया है:

(i) वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंड में प्राकृतिक गैस की औसत खपत 8.32 एमएमएससीएमडी थी। तदनुसार, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंड के लिए सीजीडी कंपनियों को आपूर्ति करने के लिए गेल को घरेलू गैस का आवंटन तत्काल प्रभाव से 8.32 एमएमएससीएमडी तक बढ़ाया जाता है। इस आवंटन की पूरी आपूर्ति की जाएगी और इसे कोई कटौती नहीं की श्रेणी में रखा जाएगा। यह 2013-14 की पहली छमाही में सीजीजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंड के लिए सभी सीजीडी कंपनियों की पूर्ण आवश्यकता को पूरा करेगा।

(ii) सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को आपूर्ति के उद्देश्य के लिए गेल को घरेलू गैस के आबंटन समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। पिछली अवधि में वास्तविक खपत के आधार पर आवंटन को संशोधित किया जाएगा। दो समीक्षाओं के बीच उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त मांग को सीजीडी कंपनी द्वारा बाजार मूल्य गैस के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(iii) मौजूदा स्तर से सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के लिए गेल को घरेलू गैस का अतिरिक्त आवंटन / आपूर्ति, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अलावा (केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार) क्षेत्रों में घरेलू गैस (एनईएलपी के अलावा) के सभी ग्राहकों पर आनुपातिक कटौती लागू करके प्राप्त की जाएगी। तथापि, छोटे ग्राहकों (जो वर्तमान में 50000 एससीएमडी तक घरेलू गैस का आवंटन कर रहे हैं) के हितों की रक्षा के लिए, आपूर्ति का वर्तमान स्तर अधिकतम 5000 एससीएमडी तक होगा, जिसे परिचालन अनिवार्यता के अधीन, आनुपातिक

कटौती से बाहर रखा जाएगा। वर्ष 2013-14 की पहली छमाही के दौरान इस उद्देश्य के लिए आपूर्ति का वर्तमान स्तर घरेलू गैस की वास्तविक औसत खपत होगी।

(iv) गेल सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के प्रयोजन के लिए सीजीडी कंपनियों को एकसमान आधार मूल्य पर घरेलू गैस की आपूर्ति करेगा। तथापि, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए घरेलू सीजीडी संस्थाओं को घरेलू गैस का सुपुर्दगी मूल्य परिवहन शुल्क और स्थानीय करों और शुल्क के कारण भिन्न-भिन्न हो सकता है।

(v) गेल सीजीडी संस्थाओं के बीच भेदभाव बरते बिना सभी सीजीडी कंपनियों में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति में एकरूपता बनाए रखेगा, जो परिचालन अनिवार्यता के अधीन होंगे।

(vi) सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र के संबंध में खपत को प्रमाणित करना सीजीडी कंपनी की जिम्मेदारी होगी और पीपीएसी को इसकी सूचना माह के अंत में 48 घंटों के भीतर दी जाएगी। यह कंपनी आंकड़ों को सटीकता के साथ और समय पर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(vii) पीपीएसी गेल को और एमओपीएंडएनजी को सीजीडी कंपनियों द्वारा वार्षिक गैस की खपत पर खंड-वार उसी माह की 7 तारीख तक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(viii) मंत्रालय को अपनी पसंद की किसी एजेंसी के माध्यम से कंपनी को घरेलू गैस की आपूर्ति के अंतिम उपयोग का सत्यापन करने का अधिकार होगा।

(ix) सीजीडी कंपनियों को घरेलू गैस की बढ़ी हुई आपूर्ति के लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को देने का निर्देश दिया जाता है। केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए सीएनजी (परिवहन) / पीएनजी (घरेलू) कीमत या किसी भी अन्य आवश्यक जानकारी मांगने का अधिकार होगा।

(x) उपरोक्त व्यवस्था को संचालित करने के लिए, सभी संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.03.2012 को जारी स्वैपिंग के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवस्था करें।

(xi) गेल को इन व्यवस्थाओं के लिए परिचालन पद्धतियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है।

(xii) हालांकि घरेलू गैस से 100% सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, फिर भी, घरेलू गैस की उपलब्धता के आधार पर, आयातित आर-एलएनजी के जरिए भविष्य में इसकी पूर्ति करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

2. इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक

सं.एल-16013/3/2-जीपी-।।

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

***

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18.02.2014

सेवा में

सभी सीजीडी संस्थाएं

विषय: - सीजीडी कंपनियों द्वारा सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) का मूल्य निर्धारण।

मंत्रालय ने दिनांक 3.2.2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए प्राकृतिक गैस की आवश्यकता को यथासंभव घरेलू गैस के अधिकतम आवंटन से पूरा किया जाएगा। दिशानिर्देशों के खंड 1(ix) में यह निर्देश दिया गया है कि सीजीडी कंपनियां अंतिम उपभोक्ता को घरेलू गैस की बढ़ी हुई आपूर्ति का पूरा लाभ प्रदान करेगी। इसके अलावा, दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार को सीएनजी (परिवहन) / पीएनजी (घरेलू) कीमत या इस प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य कोई सूचना का ब्यौरा मांगने का अधिकार होगा।

2. सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर मंत्रालय में विचार किया गया। मंत्रालय का मानना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीजीडी कंपनियों द्वारा घरेलू गैस के आवंटन का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए और सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, सीजीडी कंपनियों द्वारा सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) मूल्यों का विवरण उपभोक्ताओं को प्रकट किया जाना चाहिए।

3. तदनुसार, निम्नलिखित दिशानिर्देशों को दिनांक 3.02.2014 के दिशानिर्देशों के क्रम में जारी किया जाता है:

(i) सभी सीजीडी कंपनियां

क. सीएनजी स्टेशनों पर सीएनजी मूल्य का ब्यौरा प्रदर्शित करेंगी;

ख. ग्राहक को चालान में पीएनजी (घरेलू) कीमत का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा;

कंपनियां सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) मूल्य का निमनानुसार विवरण देंगी:

सीजीडी कंपनी को गैस की लागत, सीजीडी कंपनी की आपूर्ति एवं वितरण लागत, कंपनी का मार्जिन, उत्पाद शुल्क, वैट, अन्य कोई कर।

(ii) सभी सीजीडी कंपनियां मंत्रालय को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक वार्षिक आधार पर सीएनजी (परिवहन) स्टेशनों और पीएनजी (घरेलू) मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा:

अपने नेटवर्क के प्रवेश पर गैस की लागत का पूरा ब्यौरा, सीजीडी इकाई की आपूर्ति और वितरण लागत (ऑडिट योग्य बैक-अप विवरणों के साथ इन लागतों का और आगे और ब्यौरा), कंपनी का मार्जिन, उत्पाद, वैट, अन्य कोई कर।

वर्ष 2013-14 के आंकड़ों को 30अप्रैल, 2014 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iii) सीजीडी कंपनियों द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने पर सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) के लिए उनका घरेलू गैस आवंटन रद्द हो जाएगा।

इसे मंत्री (पीएंडएनजी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)

निदेशक (जीपी)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, पीएनजीआरबी - सूचनार्थ
2. सीएमडी, गेल, नई दिल्ली
3. महानिदेशक, पीपीएसी, नई दिल्ली
4. तकनीकी निदेशक (एनआईसी) - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए